जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः- 15.11.2020

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी कर 04 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद।

आज दिनांक 15.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री नित्यानंद राय के आदेशानुसार अवैध शराब की बरामदगी, अवैध निर्माण एवं तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जंगल ग्राम जलालपुर से अवैध शराब के निर्माण को चलाई जा रही भट्टी पर छापेमारी करते हुए 04 अभियुक्तों को 25 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं निर्माण में प्रयुक्त उपकरण सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मौके पर मिले 10 लीटर लहन एवं भट्टी को पुलिस पार्टी द्वारा नष्ट कराया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. राजेन्द्र पुत्र सितारा निवासी जलालपुर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
2. कर्मवीर पुत्र सतपाल निवासी जलालपुर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
3. रविन्द्र पुत्र समा निवासी जलालपुर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
4. सोनू पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध कच्ची शराब 25 लीटर।
2.कच्ची शराब बनाने के उपकरण (ड्रम, पाईप, परात एल्यूमीनियम)।
3.नष्ट कराया गया 10 लीटर लहन एवं भट्टी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राहुल सिसोधिया थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
3.का0 चेतन थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
4.का0 वरणकार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
5.का0 मुबारिक थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस बरामद।</u>

दिनांक 14.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री नित्यानंद राय के आदेशानुसार चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अगडीपुर चैराहे से एक अभियुक्त को अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1- गुड्डू पूत्र मैनपाल निवासी ग्राम रज्जाकनगर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री धर्मवीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2- का0 अर्जुन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जमालपुर में हुई युवक की हत्या एवं हत्यारोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व आलाकत्ल की बरामदगी के संबंध में</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 14.11.2020 को दीपावली के अवसर पर रूपेंद्र पुत्र बृजपाल निवासी हरसाना थाना झिंझाना जनपद शामली अपनी बहन राधा पत्नी सुभाष निवासी जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली की कोथली लेकर आया था। समय करीब 18:00 बजे रूपेन्द्र व हरिओम पुत्र सुभाष अपने घर के सामने अपनी ई-रिक्शा खड़ी करके डैग बजाकर डांस कर रहे थे। सुभाष उपरोक्त के घर के पास विनोद पुत्र जगदीश की ट्यूबवेल है। इसी दौरान मोन्टी पुत्र विनोद निवासी जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली दिए जलाने ट्यूबवेल पर गया था। डेग की आवाज कम करने को लेकर रूपेन्द्र व हरिओम की मोन्टी के साथ कहासुनी व गाली-गलौच हो गयी। जिस पर मोन्टी मौके से अपने घर चला गया। कुछ समय बाद मोंटी अपने भाई गौरव के साथ घर से चाकू (छुरे) लेकर वापस पहुंचा तथा हरिओम पुत्र सुभाष निवासी जमालपुर व उसके मामा रूपेंद्र को पीछे से आकर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिन्हें परिजन लेकर सीएचसी ऊन गए। घायलों की स्थिति गम्भीर होने के कारण डाक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल मु0नगर के लिये रेफर कर दिया। मु0नगर जाते समय रास्ते में हरि ओम उम्र करीब 18 वर्ष की मृत्यु हो गई तथा घायल रूपेंद्र को उसकी पत्नि ने करनाल अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया है। जहां रूपेन्द्र की स्थिति सामान्य है। घटना की सूचना पर थाना झिंझाना द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशो के क्रम में प्रभारी निरीक्षक झिंझाना द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए हत्यारोपी मोंटी व गौरव को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। मृतक के मामा राजेन्द्र की लिखित तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही हैं।

थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाला लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया मोबाईल फोन बरामद।

आज दिनांक 15.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री नित्यानंद राय के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर मोबाईल लूट करने वाले शातिर लुटेरे को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से लूटा गया मोबाईल फोन (रियलमी) बरामद हुआ है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.11.2020 को माजरा रोड शराब के ठेके के पास एक मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाश द्वारा श्री रवि कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश निवासी नई बस्ती माजरा रोड थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली से उसका मोबाईल फोन छीनकर फरार हो गया था। घटना के संबंध में रवि कुमार द्वारा थाना आदर्शमण्डी पर तहरीर दाखिल की गयी जिसके आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1-इमरान पुत्र शौकीन अली निवासी 20 फुटा रोड मौहल्ला प्रेमनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- मु0अ0सं0 40/2018 धारा 2/3 गैंगिस्टर एक्ट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

2- मु0अ0सं0 478/2017 धारा 414,420 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

3- मु0अ0सं0 694/017 धारा 392 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

4- मु0अ0सं0 975/2015 धारा 147,148,323 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

5- मु0अ0सं0 3326/2018 धारा 138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम संशोधन 2003 थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

बरामदगीः-

1.लूटा गया मोबाईल फोन रियलमी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राशिद अली थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
2. है0का0 गुलबीर सिंह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
3. का0 नीटू थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
4. का0 सतेन्द्र थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।